अध्याय 3

निगमित अभिशासन

3.1 निगमित अभिशासन

निगमित अभिशासन पणधारी (शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकारों, सरकार एवं समुदाय) को सन्तुष्ट करने एवं विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के दीर्घकालिक नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के मद्देनजर एक संगठन में संरचना, प्रचालन और नियंत्रण की एक प्रणाली है। निगमित अभिशासन कम्पनियों को निर्देश देने और नियंत्रण करने के रूप में है। यह कम्पनी और प्रबन्धन के नैतिक, नीतिपरक, मूल्य, पैरामीटरों, आचरण एवं व्यवहार से संबंधित है। यह वह प्रणाली है जिसके द्वारा कम्पनियों को अधिक पारदर्शिता और बेहतर एवं समय से वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करते हुए शेयरधारी और अन्य पणधारियों के सर्वोत्तम हित में प्रबन्धन द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित किया जाता है। अच्छे अभिशासन संरचनाओं के अभाव और अभिशासन सिद्धान्तों के पालन के अभाव में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रबन्धन द्वारा सौंपी गई शक्तियों के दुरूपयोग और भ्रष्टाचार में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है।

3.1.1 भारत में निगमित अभिशासन

निगमित अभिशासन के निदेश की भारत में पहल की गई जिसमें मुख्यतः कम्पनी अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा आदेश दिए जाते हैं। जबकि कम्पनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न संशोधनों ने सम्पूर्ण देश में कम्पनियों को अभिशासन निदेश दिए, डीपीई ने सार्वजनिक क्षेत्र में अभिशासन पहलों का मार्ग उपलब्ध कराते हुए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईज) के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए।

3.1.2 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देश

डीपीई ने निदेशक मंडल में गैर-कार्यालयीन निदेशकों के शामिल करने पर नवम्बर 1992 में निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। डीपीई ने निदेशक मंडल में स्वतत्र निदेशकों के शामिल करने के लिए नवम्बर 2001 में पुनः दिशानिर्देश जारी किए। सीपीएसईज़ के कार्यचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सरकार ने जून 2007 में सीपीएसईज के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किये। ये दिशानिर्देश स्वरूप में स्वैच्छिक थे। इन दिशानिर्देशों को एक वर्ष की प्रयोगात्मक अवधि के लिए लागू किया गया था। इस अवधि के दौरान

प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर, मई,2010 में डीपीई दिशानिदेशों को आशोधित करने एवं पुनः जारी करने का निर्णय लिया गया था। इन दिशानिर्देशों को अनिवार्य बनाया गया और ये सभी सीपीएसईज के लिए लागू हैं। डीपीई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों ने निदेशक मंडल के गठन के क्षेत्रों, निदेशक समितियों के गठन एवं कार्य, जैसे लेखापरीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति सहायक कम्पनियों के ब्यौरे, प्रकटन, रिपोर्ट एवं कार्यान्वयन के लिए अनुसूचियों को कवर किया। इस अध्याय में डीपीई दिशानिर्देशों के लिए सभी सन्दर्भ, मई 2010 में जारी किए गए डीपीई दिशानिर्देशों से संबंधित है, जो सभी सीपीएसईज के लिए अनिवार्य हैं।

3.1.3 निगमित अभिशासन के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान

कम्पनी अधिनियम, 1956 में निगमित अभिशासन के संबंध में कोई सीधा प्रावधान नहीं किया गया है लेकिन कम्पनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न प्रावधानों में कतिपय पद्धतियों को निर्धारित किया गया कि सख्त, निगमित अभिशासन संरचना को बनाएं। कम्पनी अधिनियम, 1956 के कुछ ऐसे प्रावधानों को नीचे दिया गया है:

- धारा 217 (2एए) को दिसम्बर, 2000 से लागू किया गया जिसमें यह दर्शाते हुए बोर्ड की रिपोर्ट के भाग के रूप में निदेशक के जिम्मेवारी विवरण के लिए प्रावधान किया गया कि लागू लेखाकरण मानकों का लेखाओं के तैयार करने और उससे महत्वपूर्ण विचलनो की रिपोर्टिंग का अनुसरण किया गया कि कम्पनियों ने अपनी लेखाकरण पॉलिसियों का सुसंगत रूप से अनुसरण किया और सभी लेखाकरण अभिलेखों का रखरखाव कम्पनी अधिनियम,1956 की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है।

- धारा 292ए को दिसम्बर 2000 से लागू किया गया जिसमें प्रत्येक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, जिसकी प्रदत्त पूँजी 5 करोड़ से कम ना हो, में बोर्ड की समिति के रूप में लेखापरीक्षा समिति के गठन का प्रावधान है। लेखापरीक्षा समिति के सन्दर्भ की शर्तों में वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबन्धन प्रणाली, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के निरीक्षण तथा अन्य कर्त्तव्यों के निष्पादन एवं बोर्ड द्वारा यथा निर्दिष्ट जिम्मेवारियों से संबंधित सभी मामलों को शामिल किया जाता है।

- अधिनियम की धारा 299 में कम्पनी के प्रत्येक निदेशक द्वारा उसकी या कम्पनी की ओर से किए गए ठेका अथवा करार (वर्तमान अथवा प्रस्तावित) में उसकी चिन्ता अथवा हित के स्वरूप की बोर्ड की बैठक में प्रकटीकरण करना आवश्यक है। कम्पनी को ऐसे संव्यवहारों का अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत ठेका रजिस्टर में दर्ज करना भी अपेक्षित है।

3.1.4 निगमित अभिशासन पर सेबी दिशा-निर्देश

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने परिपत्र दिनांक 21 फरवरी 2000 के माध्यम से सूचीगत करार में एक नया खण्ड 49 शामिल किया। सूचीगत करार के खण्ड 49 में संशोधन अक्तूबर 2004 में किया गया और संशोधित खण्ड को 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था। सूचीगत करार के खण्ड 49 में निदेशक मंडल के गठन, गैर-कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक, लेखापरीक्षा समिति के गठन और कार्य, सहायक कम्पनी की तुलना में नियत्रक-कम्पनी के निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षा समिति की भूमिका, प्रकटीकरण और अन्य मामलों के मध्य अनुपालन रिपोर्टों आदि का प्रावधान है।

3.1.5 निगमित अभिशासन प्रावधानों के चयनित सीपीएसई द्वारा अनुपालन पर लेखापरीक्षा समीक्षा

31 मार्च 2013 को, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 525 केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज) थे। इसमें 358 सरकारी कम्पनियों 161, मानी गई सरकारी कम्पनियों और छः सांविधिक निगमों को शामिल किया गया। अधिकांश सीपीएसईज, जिसमें महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न शामिल है, लाभ अर्जन कर रही हैं और वर्षो से उनके वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ है। सीपीएसईज को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सरकार की पॉलिसी के सन्दर्भ में निगमित अभिशासन अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। महारत्न योजना के अन्तर्गत सीपीएसईज से अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों के बढ़ाने और विश्वव्यापी वृहत होने की प्रत्याशा की जाती है जिसके लिए प्रभावी निगमित अभिशासन अत्यावश्यक है।

समीक्षाके उद्देश्य से सेबी और डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों-कंपनी अधिनियम 1956 में निहित प्रावधानों के आधार पर एक मूल्यांकन रूपरेखा तैयार की गई थी। मूल्यांकन रूपरेखा में निहित प्रावधानों के आधार पर निदेशक मण्डल के गठन और क्रियाकलाप, बोर्ड के सदस्यों की आचरण संहिता, लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ में गठन और शर्तों आदि से संबंधित विशेष प्रश्न निहित हैं।

इस वर्ष रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और जहाजरानी मंत्रालय के अधीन सीपीएसईज़ को उनके मूल्यांकन रूपरेखा में दर्शाए गए निगमित अभिशासन के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने हेतु चयनित किया गया है। बताए गए चार मंत्रालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन **45 कम्पनियॉ** को इस समीक्षा में कवर किया गया। इस समीक्षा में मार्च,2013 को समाप्त एक वर्ष की अवधि निहित थी। इन कम्पनियों की एक सूची **परिशिष्ट- XXI** में दी गई है। समीक्षा के निष्कर्ष निम्नलिखित पैराग्राफो में दर्शाए गए हैं।

3.2 निदेशक मण्डल

3.2.1 सरकारी नामिती निदेशक

डीपीई दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि सरकारी निदेशकों को निदेशक मंडल की वास्तविक क्षमता के छठवें हिस्से से अधिक नहीं होना चाहिए और बोर्ड में मात्र एक प्रतिनिधि रखना अधिमान्य है। तथापि, किसी भी मामले में, यह दो से अधिक नहीं होने चाहिए। निम्नलिखित कम्पनियों में सरकारी निदेशक दो से अधिक थे:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी नामित निदेशकों की संख्या
1	फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4
2	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	5
3	राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	7
4	दि फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड	3

3.2.2 स्वतंत्र निदेशक

बोर्ड निगमित अभिशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। बोर्ड में स्वतन्त्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति को, जो कि प्रबन्धन के निर्णयों को चुनौती देने में समर्थ हों, शेयरधारको और अन्य पणधारियों के हितों की सुरक्षा करने के साघन के रूप में व्यापक रूप से माना गया है। सूचीगत करार के खण्ड 49(I)(ए)(ii) और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार जहाँ बोर्ड का अध्यक्ष गैर-कार्यकारी निदेशक है वहाँ कम से कम बोर्ड के एक तिहाई को स्वतत्र निदेशकों का बना हुआ होना चाहिए और यदि वह एक कार्यकारी निदेशक है, तो कम से कम बोर्ड के आधे को स्वतत्र निदेशकों का बना हुआ होना चाहिए। नामिती निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक नहीं माना गया है।

3.2.2.1 समीक्षित कम्पनियों के निदेशक मंडल के गठन से पता चला कि निम्नलिखित कम्पनियों के पास उनके बोर्ड मे स्वतंत्र निदेशकों की संख्या पर्याप्त नही थी:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वांछित	वास्तविक
1	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	5	3
2	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	8	7
3	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एण्ड पॉलिमर लिमिटेड	5	2
4	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड	4	1
5	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4	3
6	एन्नोर पोर्ट लिमिटेड	4	3
7	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	2	1
8	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड	4	3

9	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	4	3
10	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	7	4
11	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	2	1
12	हिंदुस्तान फ़्लोरोकार्बन लिमिटेड	3	1
13	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	4	1
14	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	5	2
15	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	2	1
16	केआईओसीएल लिमिटेड	4	2
17	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	4	3
18	मझगांव डॉक लिमिटेड	5	4
19	मेकॉन (इंडिया) लिमिटेड	5	3
20	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	4	3
21	एमएसटीसी लिमिटेड	4	3
22	नैशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	3	1
23	भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	8	7

3.2.2.2 निम्नलिखित सीपीएसईज़ में, बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज लिमिटेड
2	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
3	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड
4	फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड
6	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड
7	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड
8	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
9	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
10	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
11	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
12	सेल रीफैक्ट्री कंपनी लिमिटेड
13	दि फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड

3.2.3 बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक

सूचीगत करार के खण्ड 49 (I) (ए) (i) और डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1 और 3.2 में प्रावधान है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल में कार्यकारी एवं गैर कार्यकारी/कार्यात्मक एवं गैर कार्यात्मक निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए तथा गैर कार्यकारी निदेशकों को बोर्ड की क्षमता के पचास प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित कम्पनियों में गैर-कार्यकारी निदेशक कुल बोर्ड क्षमता के 50 प्रतिशत से कम थे:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वांछित	वास्तविक
1	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	7	6
2	हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड	3	2
3	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	4	3
4	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	5	4
5	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	3	2

3.2.4 कम्पनी के कार्यकलापों और मामलों पर सूचना

डीपीई दिशानिर्देशों और सूचीगत करार के खण्ड 49 में कम्पनी के कार्यकलापों और मामलों के बारे में न्यूनतम सूचना निर्धारित की गई है, जिसे बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसी सूचना में वार्षिक परिचालन योजनाओं, बजट, त्रैमासिक परिणामों, लेखापरीक्षा समिति बैठकों के कार्यवृत्त, बोर्ड स्तर से थोड़ा कम वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की भर्ती एवं पारिश्रमिक पर सूचना, संयुक्त उद्यम के ब्यौरे, विदेशी विनिमय आदि को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित कम्पनियों के बारे में, वार्षिक परिचालन योजनाओं, पूँजी और राजस्व बजटों की सूचना बोर्ड को नहीं दी गई थी:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
2	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
4	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
5	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड

3.2.5 जोखिम प्रबंधन

उद्यम जोखिम प्रबंधन, जोखिम का प्रबन्ध करने तथा ईकाई की प्रतिष्ठा की क्षति और संबंधित परिणामों को रोकने में प्रबंधन की सहायता करता है। निगमित प्रबंधन नीतियों की योजना में जोखिम प्रबंधन के महत्व पर विचार करते हुए इसका निरीक्षण बोर्ड/प्रबंधन के मुख्य उत्तरदायित्वों में से एक होना चाहिए। डीपीई दिशानिर्देशों में जोर दिया जाता है कि बोर्ड को निगमित एवं प्रचालन उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंध प्रणाली का एकीकरण और सुधार सुनिश्चित

करना चाहिए और यह भी कि जोखिम प्रबंधन को सामान्य कारोबार प्रथा के भाग के रूप मे लिया गया है न कि निर्धारित समय में अलग कार्य के रूप में। निम्नलिखित कंपनियों में जोखिम पालिसी अभी विकसित की जानी है:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
2	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
3	एन्नोर पोर्ट लिमिटेड
4	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
6	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
7	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड
8	सेल रीफैक्ट्री कंपनी लिमिटेड
9	सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड
10	विगन्यान इंडस्ट्रीज लिमिटेड

3.2.6 कार्यात्मक गैर-कार्यात्मक, स्वतंत्र निदेशकों, के पदो का भरा जाना

निदेशकों, के पदो में रिक्तियों को समय से भरा जाना कम्पनी के प्रबंधन में अपेक्षित कौशल और विशेषज्ञता सुनिश्चित करता है। रिक्तियों के भरने में कोई भी विलम्ब निर्णय लेने वाली प्रक्रिया की प्रभावकारिता में बाधा डाल सकता है। निम्नलिखित कम्पनियों में 31 मार्च 2013 को निदेशकों - कार्यात्मक, गैर-कार्यात्मक, स्वतंत्र आदि के पदों को भरने में 6 माह या उससे अधिक विलम्ब हुआ था:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	पद का नाम	माह की सं.
1	बीईएल आप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	7
2	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	निदेशक (तकनीकी)	7
3	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	10
		2 स्वतंत्र निदेशक	6
4	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एण्ड पॉलिमर्स लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	13
5	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड	नियमित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	16

		निदेशक (वित्त)	9
6	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2 स्वतंत्र निदेशक	24
		एक सरकारी निदेशक	12
7	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	प्रबंध निदेशक	7
		स्वतंत्र निदेशक	8
8	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	10
9	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	निदेशक (कारपोरेट प्लानिंग एंड मार्केटिंग)	18
10	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	मई 1989 से रिक्त
11	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	6
12	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	एक स्वतंत्र निदेशक	9
13	केआईओसीएल लिमिटेड	4 स्वतंत्र निदेशक	7
14	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	निदेशक (तकनीकी)	6
		निदेशक (मार्केटिंग)	21
		स्वतंत्र निदेशक	7 से 34
15	दि फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	13

3.3 लेखापरीक्षा समिति

3.3.1 सूचीगत करार के खंड 49 (II) (ए) और डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 4 में प्रावधान है कि सदस्यों के रूप में न्यूनतम तीन निदेशकों की एक लेखापरीक्षा समिति होगी जिसके दो तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे। हालांकि, **इंडिया ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड** ने डीपीई दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 5 करोड़ से अधिक प्रदत्त पूँजी होने के बावजूद लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया था।

3.3.2 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

निम्नलिखित कम्पनियों के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य यथा अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बीईएल आप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज लिमिटेड
2	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
3	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड
4	सेंट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
5	फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड
7	हिंदुस्तान फ़्लोरोकार्बन लिमिटेड
8	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड
9	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
10	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
11	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
12	नैशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
13	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
14	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
15	दि फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड

3.3.3 लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष

सूचीगत करार के खण्ड 49 (II) (ए) (III) और डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे। निम्नांकित मामले में, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं थे:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बीईएल आप्ट्रोनिक्स डिवाइसेज लिमिटेड
2	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड
5	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड
6	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
7	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
8	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
9	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
10	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
11	दि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड

3.3.4 सूचीगत करार खण्ड 49 (II) (ए) (VI) के अनुसार अपेक्षित निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में कंपनी के सचिव ने लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य नहीं किया:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
2	सेंट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड

3.3.5 लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ में शर्तें लिखित रूप में होनी चाहिए तथा लेखापरीक्षा समिति की भूमिका और विशिष्ट जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। **हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड** के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के लिए इस संदर्भ में शर्तों को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था।

3.3.6 लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों को नियुक्ति पत्र जारी करना एक अच्छी पद्धति है जिसमें उनकी नियुक्ति और उद्देश्य, अपेक्षित प्रतिबद्धता, पारिश्रमिक, मूल्यांकन, समर्थन और प्रशिक्षण जिसे वे लेंगे, अपेक्षित आचरण, नियुक्ति की अवधि और कितनी बार इसे नवीकृत किया जाता है और समाप्ति की शर्तों, को स्पष्ट करना अपेक्षित है। निम्नांकित कम्पनियों में इस अच्छी पद्धति का पालन किया जा रहा था:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
2	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
3	एमएसटीसी लिमिटेड
4	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
5	सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड

3.3.7 लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सूचीगत करार के खंड 49 (II) (बी) और डीपीई दिशा-निदेशों के अध्याय 4 (पैरा 4.4) में अपेक्षित है कि लेखापरीक्षा समिति को वर्ष में कम से कम चार बार मुलाकात करनी चाहिए तथा दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि निम्नलिखित कंपनियों के संदर्भ में वर्ष 2012-13 के दौरान चार से कम बैठकें हुई थी:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
2	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड
5	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड

6	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
7	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
8	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
9	सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड

3.3.8 निम्नलिखित कंपनियों में लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकों के बीच चार महीनों से अधिक अन्तर था:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
2	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड
3	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड
5	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइडस लिमिटेड
6	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
7	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी
8	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
9	एमओआईएल लिमिटेड
10	एमएसटीसी लिमिटेड

3.3.9 आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की उपयुक्तता

खण्ड 49 (II)(डी)(7) तथा डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, यदि कोई हो, की उपयुक्तता की समीक्षा करनी चाहिए जिसमें विभाग की सरचना, कर्मचारियों की स्टाफिंग तथा विभाग के प्रधान की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति व कवरेज को सम्मिलित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित कंपनियों में, लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों की समीक्षा नहीं की है:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
2	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
3	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
6	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
7	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

3.3.10 किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करने का उतरदायित्व भी लेखापरीक्षा समिति का है। यह देखा गया था कि, निम्नलिखित कम्पनियों में लेखापरीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा नही की:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
2	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
4	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
5	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड

3.3.11 चेतावनी तंत्र

सूचीगत करार के खंड 49 (II) (डी) (12) तथा डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 4.2.12 में अपेक्षा की गई है कि लेखापरीक्षा समिति कम्पनी में विद्यमान होने पर चेतावनी तंत्र के क्रियाकलापों की समीक्षा करे। सूचीगत करार में अपेक्षा की गई है कि कम्पनी कर्मचारियों द्वारा प्रबन्धन को अनीतिगत व्यवहार, वास्तविक या आशांकित धोखाधड़ी या कम्पनी की आचरण संहिता अथवा नीतिगत नीतियों के बारे में सूचना देने के लिए एक तंत्र की स्थापना करे। यह तंत्र उन कर्मचारियों को, जो इस तंत्र का उपयोग करेंगे, के शोषण के प्रति पर्याप्त सुरक्षा भी उपलब्ध कराएगा तथा कुछ अपवादात्मक मामलों में लेखापरीक्षा के अध्यक्ष तक भी सीधा सम्पर्क स्थापित कराएगा। एक बार स्थापित होने के बाद, तंत्र के विधमान होने की सूचना संगठन में समुचित रूप से प्रसारित की जाए। निम्नलिखित कम्पनियों में चेतावनी तंत्र नहीं था:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बीईएल आप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज लिमिटेड
2	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
3	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
4	सेंट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
5	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड
7	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
8	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
9	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
10	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड
11	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

12	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
13	मझगांव डॉक लिमिटेड
14	मेकॉन (इंडिया) लिमिटेड
15	एमओआईएल लिमिटेड
16	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
17	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
18	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
19	सेल रीफैक्ट्री कंपनी लिमिटेड
20	सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड
21	विगन्यान इंडस्ट्रीज लिमिटेड

3.3.12 कुछ कंपनियों में, हालांकि चेतावनी तंत्र विधमान है, लेखापरीक्षा समिति ने इसकी समीक्षा नहीं की:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बीईएमएल लिमिटेड
2	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
3	कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड
4	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड
6	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
7	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
8	दि फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड

3.3.13 लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारण की समीक्षा

डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा सं.4.2.2 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति को निदेशक मंडल से संविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारण की सिफारिश करनी चाहिए। निम्नलिखित कंपनियों में लेखापरीक्षा समिति द्वारा लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण की सिफारिश नहीं की गई:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
2	सेंट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
3	फर्टिलाइजर कारपोशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड

3.3.14 सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा

खण्ड 49(II)(डी) तथा डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.2.10 में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को लेखापरीक्षा आरम्भ करने से पूर्व सांविधिक लेखापरीक्षको से लेखापरीक्षा प्रवृत्ति तथा कार्यक्षेत्र के संबंध में चर्चा करनी चाहिए तथा लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद भी ये जानने के लिए चर्चा करनी चाहिए कि क्या कोई चिन्ता का विषय है। निम्नलिखित कम्पनियों में लेखापरीक्षा समिति ने चर्चा नहीं की:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	जिसकी चर्चा नहीं की गई
1	बीईएल ऑप्ट्रानिक्स डिवाइसेज लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा और पश्च् लेखापरीक्षा दोनों चर्चाएँ
2	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा और पश्च् लेखापरीक्षा दोनों चर्चाएँ
3	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलिमरर्स लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
4	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा और पश्च् लेखापरीक्षा दोनों चर्चाएँ
5	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा और पश्च् लेखापरीक्षा दोनों चर्चाएँ
6	फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा और पश्च् लेखापरीक्षा दोनों चर्चाएँ
7	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा और पश्च् लेखापरीक्षा दोनों चर्चाएँ
8	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
9	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
10	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
11	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा और पश्च् लेखापरीक्षा दोनों चर्चाएँ
12	केआईओसीएल लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
13	मझगांव डॉक लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
14	दि फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा

3.3.15 विस्तार परियोजनाओं की प्रगति

लेखापरीक्षा का मूल उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करने, कि वित्तीय विवरण सही, उपयुक्त और विश्वसनीय है, के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इसकी वित्तीय सूचना

के प्रकटन पर नजर रखना है। लेखापरीक्षा समिति को अपनी क्रियाकलापों को प्रभावी रूप से करने के लिए कंपनी में चालू परियोजनाओं की प्राथमिक जानकारी रखनी चाहिए। इसको देखते हुए, लेखापरीक्षा समिति विस्तार परियोजनाओं, संयुक्त उद्यमों, विशेष उद्देश्य के वाहनों की आवधिक समीक्षा करे और कमियों को, यदि कोई हो तो प्रबंधन के संज्ञान में लाए और तदनुसार की गई कार्रवाई की भी निगरानी करे। निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में, लेखापरीक्षा समितियों ने इस तरह का कोई कार्य नहीं किया:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बीईएमएल लिमिटेड
2	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
3	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड
4	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
5	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
6	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
7	एमओआईएल लिमिटेड
8	नैशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
9	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

3.4 बोर्ड के सभी सदस्यों हेतु आचार संहिता

सूचीगत करार के खण्ड 49 (II)(डी) और डीपीई के दिशा-निर्देशों के पैरा 3.4 में प्रावधान है कि बोर्ड के सभी सदस्यों हेतु आचार-संहिता कंपनियों की वेबसाइट पर दर्शाया जाए और बोर्ड के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक वार्षिक आधार पर संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करें। निम्नलिखित कंपनियों द्वारा वेबसाइट पर आचार संहिता प्रदर्शित नहीं की गई थी:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
2	सेन्ट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
3	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड*
5	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड
6	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
7	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड
8	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
9	मझगांव डॉक लिमिटेड

10	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
11	सेल रीफैक्ट्री कंपनी लिमिटेड*
12	सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड
13	विगन्यान इंडस्ट्रीज लिमिटेड

3.4.1 निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में कंपनी द्वारा आचार संहिता पर वार्षिक पुष्टि नहीं की गई:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
2	सेंट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
3	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
4	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
5	सेल रीफैक्ट्री कंपनी लिमिटेड

3.5 निष्पादन संबंधी भुगतान हेतु परिश्रमिक समिति

डीपीई दिशा-निर्देशों के अध्याय 5 मे यह उल्लेख है कि प्रत्येक सीपीएसई कम से कम तीन निदेशकों वाली एक पारिश्रमिक समिति गठित करेगी जो सभी अंशकालिक (अर्थात् नामिती निदेशक या स्वतंत्र निदेशक) होंगे। समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जानी चाहिए। सीपीसीई निष्पादन संबंधी भुगतान के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि इस बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक न हों। पारिश्रमिक समिति निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्यकारियों और गैर/संघीय पर्यवेक्षकों में इसके हेतु वार्षिक बोनस-वैरिएबल पे पूल और नीति सुनिश्चित करेगी। निम्नलिखित कंपनियों में कोई पारिश्रमिक समिति नहीं है:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
2	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइडस लिमिटेड
5	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
6	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड
7	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
8	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
9	सेल रीफैक्ट्री कंपनी लिमिटेड
10	सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड
11	दि फर्टिलाइजर एंड केमिकलस ट्रावणकोर लिमिटेड
12	विगन्यान इंडस्ट्रीज लिमिटेड

* कंपनी ने कहा कि उनकी वेबसाइट ही नहीं है।

3.6 निष्कर्ष:

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि दिशा निर्देशों को अनिवार्य बनाए जाने के बावजूद कुछ सीपीसीईज निगमित अभिशासन पर डीपीई निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रही हैं। यह देखा जा सकता है कि कई कंपनियों के पास उनके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। निदेशक मंडल की रिक्तियों को समय पर नहीं भरा गया था।

लेखापरीक्षा समितियों के क्रियाकलाप सामान्यत: दिशा-निर्देशों में की गई परिकल्पना के अनुरूप नहीं थे। कई कंपनियों की लेखापरीक्षा समितियों ने आंतरिक लेखापरीक्षा की उपयुक्तता की समीक्षा नहीं की थी, सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा नहीं की थी और विस्तार परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा नहीं की थी, जो सभी वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजन हेतु अनिवार्य थे। कई कंपनियों ने चेतावनी तंत्र भी नहीं स्थापित किया था।

कई कंपनियों ने पारितोषिक समितियाँ और जोखिम प्रबंधन समितियाँ भी गठित नहीं की थी जो कि कंपनी के बेहतर क्रियाकलाप हेतु अनिवार्य हैं।-

3.7 सिफारिशें:

सीपीएसई में निगमित अभिशासन के स्तर में सुधार करने हेतु निम्नलिखित सिफारिशें की जाती है:

- **चूँकि निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति सरकार के पास निहित है, सीपीएसईज़ में बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की वांछित संख्या प्रवर्तन सुनिश्चित की जानी चाहिए;**
- **सीपीएसईज़ के प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी की जाए।**